रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 2018/ वैशाख 7, 1940
No. 278] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 2018/ VAISAKHA 7, 1940

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(**दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग**)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 410(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास (संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास नियम, 2000 में, नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : —

"4. बोर्ड के अध्यक्ष के लिए शैक्षिक अर्हता और अनुभव—बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति की निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव होगा, अर्थात् : —

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री :

परंतु ऐसे व्यक्ति को अधिमानता दी जाएगी, —

(क) जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से, दिव्यांगता या समुदाय आधारित दिव्यांगता पुनर्वास, जिसके अंतर्गत स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता भी है, के एक या अधिक क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री या ऐसे क्षेत्रों में ऐसी समतुल्य योग्यता रखता हो, जो भारत के पुनर्वास परिषद् से मान्यताप्राप्त है और जो भारत के पुनर्वास परिषद् के पास कार्मिक या वृत्तिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो ; या

(ख) जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ दिव्यांगता या समुदाय आधारित दिव्यांगता पुनर्वास, जिसके अंतर्गत स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता भी है, के एक या अधिक क्षेत्रों में डिप्लोमा या डिग्री या ऐसे क्षेत्रों में ऐसी समतुल्य योग्यता रखता हो, जो भारत के पुनर्वास परिषद् से मान्यताप्राप्त है और जो भारत के पुनर्वास परिषद् के पास कार्मिक या वृत्तिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो ; और

(ग) जिसके अनुसंधान पत्र किसी ख्याति प्राप्त वृत्तिक जर्नल में प्रकाशित हुए हों ; और

(ii) जिसे दिव्यांगता सेक्टर में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से सात वर्ष से अन्यून का अनुभव स्वपरायणता या प्रमस्तिष्क घात या मानसिक मंदता या बहु-दिव्यांगता के क्षेत्र में सात वर्ष से कम का अनुभव नहीं होना चाहिए ; और

(iii) किसी ऐसे गैर-सरकारी संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अध्यक्ष (चेयरमेन) या प्रधान (प्रेसीडेंट) या महासचिव के रूप में तीन वर्ष से कम का प्रशासनिक अनुभव नहीं होना चाहिए; जिन्होंने स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता या बहु-दिव्यांगता के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष की सेवा प्रदान की है :

परंतु ऐसे व्यक्ति की आयु, केंद्रीय सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बासठ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।"।

[फा.सं. 26-16/2017-डीडी-3]

डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 639(अ), तारीख 26 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना तारीख 4 फरवरी, 2015 द्वारा उनमें अंतिम बार संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities

(Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2018

G.S.R. 410(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 read with clause (b) of sub-section (2) of section 34 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), the Central Government hereby makes the following further amendments to the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Rules, 2000, namely:—

(1) These rules may be called National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Rules, 2000, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely;—

"4. Educational qualification and experience for Chairperson of Board:—Any person for being appointed as the Chairperson of the Board shall possess the following educational and other qualifications and experience, namely:—

(i) Master's degree from a recognized university:

Provided that preference shall be given to a person having—

(a) a postgraduate degree from a recognised University or Institute in one or more area of disability or community based disability rehabilitation, namely, autism, cerebral palsy, mental retardation, multiple disability or any other equivalent qualification in these fields which is recognized by the Rehabilitation Council of India and registered as a personnel or professional with the Rehabilitation Council of India; or

(b) a postgraduate degree from a recognised University or Institute in any subject with diploma or degree in one or more area of disability or community based disability rehabilitation, namely, autism, cerebral palsy, mental retardation, multiple disability or any other equivalent qualification in these fields which is recognized by the Rehabilitation Council of India and registered as a personnel or professional with the Rehabilitation Council of India; and

(c) his research papers published in any reputed professional journals; and

(ii) minimum of ten years experience in the disability sector out of which not less than seven years shall be in autism or cerebral palsy or mental retardation or multiple disabilities; and

(iii) administrative experience of not less than three years as Chief Executive Officer or Chairperson or President or General Secretary of any Non-Governmental Organisation which has been serving at least for ten years in the areas of autism, cerebral palsy, mental retardation or multiple disabilities:

Provided that the age of such person shall not be more than sixty-two years as on the closing date of receipt of applications by the Central Government."

[F. No. 26-16/2017 - DD-III]

Dr. PRABODH SETH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. No. 639(E) dated the 26th July, 2000 and was last amended *vide* notification dated 4th February, 2015.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.05.01 23:03:40 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.